क्रम-संख्या—305

रजिस्ट्रेशन नं० एल० डब्ल्यू०/एन० पी० 890
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 अगस्त, 1997

श्रावण 17, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1130/सत्रह-वि-1-1 (क)-11-1997

लखनऊ, 8 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 7 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा।

(2) धारा 8 और 9 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगी, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, धारा 9 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) 1 सितम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (छछ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"(छछ) किसी माल के सम्बन्ध में, "निर्माता" का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो माल का निर्माण किये जाने के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसकी बिक्री करे और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(एक) ऐसा व्यापारी जो ऐसी साइकिलें बेचता है जिसके पुर्जे पूर्णतया अलग-अलग हों;

(दो) ऐसा व्यापारी जो किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, जो ऐक्ट की धारा 4, 4-क और 4-ककक के अधीन छूट प्राप्त बिक्री से भिन्न, अपनी बिक्री पर कर का देनदार न हो, खरीद करता है।"

धारा 3-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :--

"(ग) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 में यथापरिभाषित मोटर स्प्रिट, डीजल आयल और अल्कोहल सम्मिलित है, के विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर या ऐसे अन्य एकल स्थल पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, बीस प्रतिशत की दर पर या छब्बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा।"

नई धारा 3-कक का बढ़ाया जाना

4--मूल अधिनियम की धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

"3-कक--धारा 3-क और 3-घ में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, घोषित माल से भिन्न किसी माल या माल के वर्ग की राज्य के भीतर बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर धारा 3-क या 3-घ के अधीन जारी विज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट दरों पर और यदि कर की दर के सम्बन्ध में ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो तो धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथाविनिर्दिष्ट आठ प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करेगी :

(बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर कर का उद्ग्रहण)

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय धन के ऐसे भाग पर जिस पर राज्य के भीतर पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद पर कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, या पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद के ऐसे विक्रय धन पर जिस पर ऐक्ट के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन छूट दे दी गयी हो, कोई कर देय नहीं होगा।"

धारा 3-ककक का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 3-ककक में,--

(क) शब्द "उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर" के स्थान पर शब्द "इस ऐक्ट के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक के खण्ड (एक) में शब्द "धारा 3-ककक के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस ऐक्ट के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 3-च का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 3-च में, उपधारा (2) में खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, शब्द "मूल्य" के स्थान पर शब्द "विक्रय मूल्य" रख दिये जायेंगे और 13 सितम्बर, 1985 को रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3-छ का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 3-छ में, उपधारा (2) में शब्द "विद्युत ऊर्जा" के स्थान पर शब्द "विद्युत ऊर्जा और रेल डीजल लोकोमोटिव इंजन" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) खण्ड (क) में शब्द "नमक" के स्थान पर शब्द "नमक, प्रसंस्कृत और (छ) [illegible] को छोड़कर", रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) में शब्द "या सुवासित पानी" के स्थान पर शब्द "सुवासित पानी या कार्क से या अन्य प्रकार से सील बन्द पात्र में या कैप्सूल में बेचे जाने वाला निर्मित या प्रसंस्कृत पानी" रख दिये जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 4-क में,— धारा 4-क का संशोधन

(क) उपधारा (1) में—

(एक) शब्द "बारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करने वाली किसी नई इकाई में, या किसी विद्यमान इकाई, जो पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जैसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और बैकवर्ड इन्टीग्रेशन या उनमें से किसी एक में पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करे, में निर्मित माल के सम्बन्ध में कर से छूट या उसकी दरों में कमी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गठित समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् प्रदान की जा सकती है।"

(ख) उपधारा (2-ख) में—

(एक) शब्द "यदि उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता" के स्थान पर शब्द "यदि विक्रय, लाइसेंस, संविदा, पट्टा, प्रबन्ध अभिकरण द्वारा या किसी अन्य रीति से उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता" रख दिये जायेंगे;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कर की देनदारी के प्रयोजन के लिए ऐसा निर्माता और उत्तराधिकारी निर्माता धारा 3-ग के अधीन हस्तान्तरकर्ता और हस्तान्तरिती माना जायगा।"

(ग) उपधारा (5) में, खण्ड (क) में शब्द "उक्त उपधारा में निर्दिष्ट सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के सुसंगत दिनांक से छः मास के भीतर" के पश्चात् शब्द "या उक्त उपधारा के अधीन जारी विज्ञप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर" बढ़ा दिये जायेंगे;

(घ) स्पष्टीकरण (5) में—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "जिसकी उत्पादन क्षमता" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में यथाउपबंधित के सिवाय जिसकी उत्पादन क्षमता" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङ) जो उसी जिले के भीतर स्थापित की गई हो जिसमें वर्तमान औद्योगिक इकाई स्थापित हो।"

6—मूल अधिनियम की धारा 4-ककक के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :— धारा 4-ककक का प्रतिस्थापन

"4-ककक—धारा 4-क में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कतिपय औद्योगिक उपक्रमों को किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित कर दिया गया है तो वह विज्ञप्ति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को पन्द्रह वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए ऐसी रियायत या छूट प्रदान कर सकती है, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय।"

धारा 4-ख का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(5) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर भुगतान करके या जैसी भी दशा हो कर का भुगतान किए बिना माल खरीदा हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो तो ऐसा व्यापारी दण्ड-स्वरूप ऐसी धनराशि का, जैसी कर निर्धारक अधिकारी निश्चित करे, देनदार होगा जो इस धारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर देय कर की धनराशि और इस ऐक्ट के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी।"

"(6) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो कर का भुगतान किए बिना माल खरीदा हो और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्करित सामग्री से निर्मित माल या ऐसी पैकिंग सामग्री के साथ पैक किए जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से वैसा का निस्तारित किया जाता है तो ऐसा व्यापारी इस धारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर देय कर की धनराशि और ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर चार प्रतिशत की दर से आगणित कर की धनराशि के अन्तर के बराबर धनराशि का देनदार होगा।"

धारा 5 का प्रतिस्थापन

12—मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

कतिपय क्रय या विक्रयों पर कर की छूट

"5 (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विनिर्दिष्ट हो,—

(क) किसी माल के विक्रय या क्रय पर, या

(ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ऐसे माल जो उपर्युक्त विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किए जायं, के विक्रय या क्रय पर,

किसी विनिर्दिष्ट स्थल पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन छूट विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व के दिनांक से दी जा सकती है।

धारा 8 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-ख के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-ख या धारा 4-ख की उपधारा (6) के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2-क) में—

(एक) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर" रख दिया जायगा।

(दो) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ के दिनांक को और से कमिश्नर ऐसे निर्माता के, जिसकी लघु इकाई के उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को उसके पश्चात् पड़ता हो, प्रार्थना-पत्र पर धारा 4-क के अधीन छूट के बदले स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन स्वीकार कर सकता है और ऐसे अधिस्थगन स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1993 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 43 के उपबन्ध लागू होंगे।"

14—मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन

(क) उपधारा (1-ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1-ख) इस ऐक्ट के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों या इस ऐक्ट के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किए गए इसमें जो भी अधिक हो, यथास्थिति, विक्रय धन या क्रय धन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो";

(ख) उपधारा (3-क) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में—

(एक) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(1) इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत न किया जाय;"

(दो) खण्ड (2) निकाल दिया जायगा;

(ग) उपधारा (7) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा।

15—मूल अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन

(क) उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (1) में शब्द और अंक "धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 9 की उपधारा (1-ख) के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (10) में, खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा, यदि ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक हो;"

16—मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (9) निकाल दी जायगी। धारा 13-क का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "ऐसे वर्ष के अन्त से तीन वर्ष या 31 मार्च, 1996 जो भी पश्चात्वर्ती हो" के स्थान पर शब्द और अंक "ऐसे वर्ष के अन्त से दो वर्ष, या 31 मार्च, 1998 जो भी पश्चात्वर्ती हो"; रख दिये जायेंगे। धारा 21 का संशोधन

उ० प्र० अध्या० सं० 7 1997

18—(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 1130 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 11-97

Dated Lucknow, Angust 8, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 7. 1997.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) ACT, 1997

(U.P. Act No. 11 of 1997)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

It is hereby enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 1997.

(2) Sections 5 and 8 shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf, clause (*a*) and sub-clause (*i*) of clause (*d*) of section 9 shall be deemed to have come into force on December 1, 1994 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 15 of 1948

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (*ee*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*ee*) 'manufacturer' in relation to any goods means the dealer who makes the first sale of such goods in the State after their manufacture and includes,—

(*i*) a dealer who sells bicycles in completely knocked down from;

(*ii*) a dealer who makes purchases from any other dealer not liable to tax on his sale under the Act other than sales exempted under sections 4, 4-A and 4-AAA."

Amendment of section 3-A

3. In section 3-A of the principal Act, in sub-section (1), *for* clause (*c*), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*c*) on the turnover of spirits and spiritious liquors of all kinds including methyl alcohol and motor spirit, diesel oil and alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, at the point of sale by the manufacturer or importer or such other single point, as the State Government may, by notification, declare at the rate of twenty per cent or at such rate not exceeding twenty six per cent, as the State Government may, by notification declare."

Insertion of new section 3-AA

4. *After* section 3-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"3-AA. Notwithstanding anything contained in section 3-A and 3-D, the State Government may, by notification and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein, levy tax at all points of sale or purchase within the State or any goods or class of goods, other than declared goods, at the rates specified in the notifications issued under section 3-A or section 3-D and if no such notification has been issued in respect of rate of tax, then at the rate of eight per cent as specified in clause (*e*) of sub-section (1) of section 3-A :

Levy of tax on all points of sale or purchase

Provided that no tax shall be payable on the part of the turnover on which tax has already been paid on the preceeding sales or purchases within the State or on the turnover of preceding sales or

purchases as has been exempted under any other provisions of the Act."

5. In section 3-AAAA of the principal Act, — Amendment of section 3-AAAA

(a) *for* the words "at the point of sale to consumer" the words "under this Act" shall be *substituted*;

(b) in clause (*i*) of the proviso for the words "under section 3-AAA" the words "under this Act" shall be *substituted*.

6. In section 3-F of the principal Act, in sub-section (2), in sub-clause (*i*) of clause (a) and in sub-clause (i) of clause (b) *for* the word "value" the words "sales value" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* on September 13, 1985. Amendment of section 3-F

7. In section 3-G of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "electrical energy" the words "electrical energy and Railway diesel locomotive engine" shall be *substituted*. Amendment of section 3-G

8. In section 4 of the principal Act,— Amendment of section 4

(a) in clause (a) *for* the word "salt" the words "salt excluding processed and branded salt" shall be *substituted*;

(b) in Explanation, in clause (a) *for* the words "or scented water" the words "scented water or manufactured or processed water sold in container sealed with a cork or otherwise or in capsule;" shall be *substituted*.

9. In section 4-A of the principal Act, — Amendment of section 4-A

(a) in sub section (1),—

(i) *for* the words "twelve years" the words "fifteen years" shall be *substituted*;

(ii) *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that in respect of goods manufactured in a new unit having a fixed capital investment of fifty crore rupees or more or in an existing unit which may make fixed capital investment of fifty crore rupees or more in expansion, diversification, modernisation and backward integration or in any one of them, within such period not exceeding five years as may be specified in the notification, the exemption from or reduction in the rate of tax may be granted after considering the recommendation of a Committee constituted by the State Government in this behalf."

(b) in sub-section (2-B),—

(i) *for* the words "if he is succeeded by another manufacturer, such successor manufacturer may," the words "if he is succeeded by another manufacturer, by means of sale, licence, contract, lease, managing agency or in any other manner such successor manufacturer may," shall be *substituted*;

(ii) *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely: —

"Provided further that such manufacturer and successor manufacturer for the purpose of liability of tax shall be treated as the transferor and the transferee under section 3-C."

(c) in sub-section (5), in clause (*a*) *after* the words "facility referred to in that sub-section" the words "or within six months from the date of notification issued under that sub-section" shall be *inserted*;

(*d*) in Explanation (5),—

(*i*) in clause (*c*) *for* the words "the production capacity whereof" the words and figure "the production capacity whereof except as provided in the proviso to sub-section (1)" shall be *substituted*;

(*ii*) *after* clause (*d*) the following clause shall be *inserted*; namely :—

"(*e*) which has been established within the same district in which the existing industrial unit is established."

Substitution of section 4-AAA

10. *For* section 4-AAA of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"4-AAA Notwithstanding anything contained in section 4-A, where the State Government is satisfied that certain industrial undertaking has been shifted from one place to another place on account of the order passed by any court, it may, by notification, grant such concession or exemption from tax for such period not exceeding fifteen years and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein to such industrial undertaking."

Special concession to certain industrial undertakings

Amendment of section 4-B

11. In section 4-B of the principal Act, *for* sub-section (5), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(5) Where a dealer in whose favour a recognition certificate has been granted under sub-section (2) has purchased the goods after payment of tax at concessional rate under this section or, as the case may be, without payment of tax and has used such goods for a purpose other than that for which the recognition certificate was granted or has otherwise disposed of the said goods, such dealer shall be liable to pay as penality such amount as the assessing authority may fix which shall not be less than the difference between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this section and the amount of tax payable under any other provisions of this Act but not exceeding three times the amount of such difference.

(6) Where a dealer in whose favour a recognition certificate has been grantad under sub-section (2) has purchased any goods after payment of tax at concessional rate under this section, or as the case may be, without payment of tax and the goods manufactured out of such raw materials or processing materials or manufactured goods after being packed with such packing material are sold or disposed of otherwise than by way of sale in the State or in the course of inter State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, such dealer shall be liable to pay an amount equal to the difference between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this section and the amount of tax calculated at the rate of four per cent, on the sale or purchase of such goods."

Substitution of section 5

12. *For* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"5 (1) Where the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, it may by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a rebate up to the full amount of tax levied on any specified point on,—

Rebate of tax on certain purchases or sales

(*a*) the sale or purchase of any goods; or

(*b*) the sale or purchase of such goods, by such person or class of persons as may be specified in the said notification.

(2) The rebate under sub-section (1) may be allowed with effect from a date prior to the date of the notification."

U. P. Ordinance no. 7 of 1997

Amendment of section 8

13. In section 8 of the principal Act,—

(*a*) in Explanation to sub-section (1) *for* the words, figure and letter "under section 3-B" the words, figures and letters "under section 3-B or sub-section (6) of section 4-B" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2-A),—

(*i*) *for* the words "the State Government" the words "the Commissioner" shall be *substituted*;

(*ii*) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :—

"Provided that on and after the commencement of the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 1997 the Commissioner may on the application of a manufacturer

having a small scale industry the date of starting production of which falls on or after April 1, 1990, grant, in a lieu of exemption under section 4-A, moratorium for payment of the admitted tax and the provision of rule 43 of the Uttar Pradesh Trade Tax Rules, 1948 as amended by the Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Rules, 1993 shall apply for granting such moratorium."

Amendment of section 9

14. In section 9 of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1-B) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1-B) No appeal against an assessment order under this Act shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of the amount of tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases, as the case may be, admitted by the appellant in the returns filed by him or at any stage in any proceedings under this Act, whichever is greater.";

(*b*) in section (3-A), in the proviso,—

(*i*) *for* clause (*i*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*i*) no application under clause (*b*) of this sub-section shall be entertained unless it is filed alongwith the memorandum of appeal under sub-section (1);"

(*ii*) clause (*ii*) shall be *omitted*.

(*c*) in sub-section (7) the Explanation shall be *omitted*.

Amendment of section 10

15. In section 10 of the principal Act,—

(*a*) in the proviso to sub-section (6), in clause (*i*) *for* the words and figures "under sub-section (1) of section 9" the words, figures and letter "under sub-section (1-B) of section 9" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (10) *for* sub-clause (*i*) of clause (*a*) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :—

"(*i*) by a bench of two members, where such order is passed by an Additional Commissioner (Appeals) or the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds fifty thousand rupees;"

Amendment of section 13-A

16. In section 13-A of the principal Act, sub-section (9) shall be *omitted*.

Amendment of section 21

17. In section 21 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "three years from the end of such year or March 31, 1996 whichever is later" the words and figures "two years from the end of such year or March 31, 1998 whichever is later" shall be *substituted*.

U. P. Ordinance no. 7 of 1997

Repeal and Savings

18. (1) The Uttar Pradesh Tax (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal; anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 135 सा० विधा०—(967)—1997—850 (मेक०)।